



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2276/2006

याचिकाकर्ता

- गोपीनाथ इजदार, पिता श्री माखनसाय, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त शिक्षक, निवासी बड़े नवापारा, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण

- 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव (आदिम जाति कल्याण विभाग), डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
- 2. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, संभाग रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
- 3. संयुक्त संचालक, लेखा कोषालय एवं पेंशन, बिलासपुर।
- 4. कलेक्टर, रायगढ़।
- 5. जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़।
- 6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बरमकेला, जिला रायगढ़ (छ.ग.)



भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री संजय पटेल, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से: श्रीमती अंजू अहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 25 अप्रैल, 2007 को पारित)



1. याचिकाकर्ता उत्तरवादीगण की उस कार्यवाही से व्यथित है, जिसके द्वारा उत्तरवादीगण तालिका (अनुलग्नक पी./3) में दर्शाए गए विवरण के अनुसार, याचिकाकर्ता को की गई कथित अधिक भुगतान की राशि 2,98,408/-रूपये की वसूली करने का प्रयास कर रहे हैं।

2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 05.09.1964 (अनुलग्नक पी./1) के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। चूँकि याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.09.1988 तक 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी, इसलिए उसे आदेश दिनांक 25.01.2002 (अनुलग्नक पी./2) के माध्यम से 5000-8000/- रूपये के वेतनमान का लाभ दिया गया था। याचिकाकर्ता दिनांक 31.07.2004 से अधिवर्षिकी की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद जब उसने अपने सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान के लिए संबंधित उत्तरवादी से संपर्क किया, तो उसे सूचित किया गया कि एक तालिका (अनुलग्नक पी./3) तैयार की गई है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता से 2,98,408/- रूपये की राशि वसूली योग्य है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इसमें याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है और उसे राशि का भुगतान उत्तरवादीगण द्वारा समय-समय पर संशोधित वेतनमानों के अनुसार किया गया है। उत्तरवादीगण याचिकाकर्ता को पहले ही भुगतान की जा चुकी राशि को इतने लंबे समय के बाद और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद वसूल नहीं कर सकते, वह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना।

4. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.04.1990, 08.06.1998 और 02.11.2004 (अनुलग्नक आर/3) को वचन-पत्र प्रस्तुत किए थे कि यदि उसके वेतन और महंगाई भत्ते में कोई अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, तो उत्तरवादीगण उसे उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी से काटने के हकदार होंगे।



5. उच्चतम न्यायालय ने 'साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य' के मामले के पैरा 5 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:—

"5. स्वीकार्य रूप से अपीलकर्ता के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अपीलकर्ता छूट (relaxation) का हकदार नहीं होगा। प्रिंसिपल ने उसे छूट देने में त्रुटि की थी। छूट की तिथि से अपीलकर्ता को संशोधित वेतनमान पर वेतन का भुगतान किया गया था। हालाँकि, उच्च वेतनमान का लाभ अपीलकर्ता द्वारा किए गए किसी गलत बयानी (misrepresentation) के कारण नहीं, बल्कि प्रिंसिपल द्वारा की गई गलत व्याख्या के कारण दिया गया था, जिसके लिए अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। परिस्थितियों को देखते हुए आज तक भुगतान की गई राशि अपीलकर्ता से वसूल नहीं की जा सकती..."

6. इस न्यायालय ने 'विद्याधर तिवारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य' के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता को किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान के लिए वह दोषी नहीं था और उसके द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग उसने उसी के अनुसार खुद को ढालते हुए अपने वेतन के रूप में किया होगा। इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों से कथित अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश देना न्यायोचित और उपयुक्त नहीं होगा।

7. उपरोक्त के आलोक में, यह याचिका 'विद्याधर तिवारी' (पूर्वोक्त) के मामले में पारित आदेश के संदर्भ में निराकृत की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों को देखते हुए, यदि उत्तरवादी/अधिकारी उचित समझें तो वे याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद जांच करने और उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। परिणामस्वरूप, M(W)P क्रमांक 1735/2006 भी निराकृत की जाती है।

1 1995 Supp (1) S.C.C. 20

2 { 2006 (1) M.P.H.T. 105 (C.G.)2 }



सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

